

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 92

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1328.28	59.57	1387.85	3418.07	99.24	3517.31	4894.27	99.24	4993.51	6095.27	110.37	6205.64
वसूलियां	-16.85	...	-16.85	-1733.33	...	-1733.33	-2685.64	...	-2685.64
प्राप्तियां
निवल	1311.43	59.57	1371.00	3418.07	99.24	3517.31	3160.94	99.24	3260.18	3409.63	110.37	3520.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	208.90	59.56	268.46	222.99	99.24	322.23	240.23	99.24	339.47	265.72	110.37	376.09
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. स्किल इंडिया कार्यक्रम												
2.01 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण	1733.33	...	1733.33	2685.64	...	2685.64
2.02 कार्यक्रम घटक	2278.37	...	2278.37	1733.33	...	1733.33	2685.64	...	2685.64
2.03 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) से प्राप्त राशि	-1733.33	...	-1733.33	-2685.64	...	-2685.64
<i>निवल</i>	2278.37	...	2278.37	1733.33	...	1733.33	2685.64	...	2685.64
3. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) को अतिरिक्त अंतरण	600.00	...	600.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2278.37	...	2278.37	2333.33	...	2333.33	2685.64	...	2685.64
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद	20.24	...	20.24	12.48	...	12.48	17.56	...	17.56
स्वायत्त निकाय												
5. भारतीय उद्यमिता संस्थान	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
6. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25	1.75	...	1.75
7. राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-स्वायत्त निकाय	2.01	...	2.01	2.26	...	2.26	5.76	...	5.76

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
8. वास्तविक वसूलियां	-16.85	...	-16.85
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	-16.85	...	-16.85	22.25	...	22.25	14.74	...	14.74	23.32	...	23.32
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
रोजगार एवं कौशल विकास												
9. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
9.01 कौशल विकास	388.03	...	388.03
9.02 राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना	335.68	...	335.68
9.03 उद्यमिता विकास	7.21	...	7.21
9.04 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना सुदृढीकरण	73.20	...	73.20
9.05 कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण	8.17	0.01	8.18
9.06 विनियामक संस्थानों को सहायता	20.24	...	20.24
9.07 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता	173.01	...	173.01
9.08 औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण	113.84	...	113.84
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1119.38	0.01	1119.39
10. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी	488.08	...	488.08	244.00	...	244.00	380.00	...	380.00
11. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी	300.00	...	300.00	249.97	...	249.97	5.05	...	5.05
12. संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ बनाना	106.38	...	106.38	78.67	...	78.67	49.90	...	49.90
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1119.38	0.01	1119.39	894.46	...	894.46	572.64	...	572.64	434.95	...	434.95
कुल जोड़	1311.43	59.57	1371.00	3418.07	99.24	3517.31	3160.94	99.24	3260.18	3409.63	110.37	3520.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.56	59.56
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	59.56	59.56
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	788.78	...	788.78	2453.15	...	2453.15	2479.64	...	2479.64	2733.99	...	2733.99
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	206.63	...	206.63	222.99	...	222.99	240.23	...	240.23	265.72	...	265.72
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	95.24	95.24	...	97.54	97.54	...	104.12	104.12
जोड़-सामाजिक सेवाएं	995.41	0.01	995.42	2676.14	95.24	2771.38	2719.87	97.54	2817.41	2999.71	104.12	3103.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	328.15	...	328.15	223.94	...	223.94	325.06	...	325.06
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	314.32	...	314.32	390.56	...	390.56	207.59	...	207.59	71.14	...	71.14
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.70	...	1.70	23.22	...	23.22	9.54	...	9.54	13.72	...	13.72
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00	...	1.70	1.70	...	6.25	6.25
जोड़-अन्य	316.02	...	316.02	741.93	4.00	745.93	441.07	1.70	442.77	409.92	6.25	416.17
कुल जोड़	1311.43	59.57	1371.00	3418.07	99.24	3517.31	3160.94	99.24	3260.18	3409.63	110.37	3520.00

1. **सचिवालय:** सचिवालय: यह मंत्रालय के सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (जेएसएस के निदेशालय), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई), प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ) के लिए व्यय प्रदान करता है।

2. मिश्रित केन्द्रीय क्षेत्र योजना में तीन घटक शामिल हैं अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)। इसके अंतर्गत एमयूएसके में अंतरण शामिल है तथा कार्यक्रम घटक एमयूएसके से पूरा किया जाएगा।

4. **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी): व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के लिए एक व्यापक नियामक निकाय है।

5. **भारतीय उद्यमिता संस्थान:** भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई): प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष निकाय है, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है।

6. **राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान:** राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्वड): उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन से जुड़ा एक संगठन है।

7. **राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान:** राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (नीमी): यह एक ऐसा संस्थान है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना, आधुनिक युग के शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए ई-सामग्री विकसित करना और जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाना है।

8. **वास्तविक वसूलियां:** वास्तविक वसूलियां।

9.01. **कौशल विकास:** कौशल विकास: इस स्कीम में "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)" और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम शामिल है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, देश भर के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपनी जीविकोपार्जन करने में सक्षम हो सकें। व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गैर-औपचारिक रीति से जन शिक्षण संस्थान स्कीम 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग में निरक्षरों, नव-साक्षरों सहित, कार्यान्वित की जाती है। प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2023-24 से इन कार्यक्रमों को क्रम संख्या 2 में "कुशल भारत कार्यक्रम" की सामासिक स्कीम में शामिल किया गया है।

9.02. **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना:** राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम: 'शिक्षुता संवर्धन' स्कीम को युक्तिसंगत बनाया गया है और वर्ष 2022-23 से इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम' कर दिया गया है। वित्तीय-वर्ष 2023-24 से इस स्कीम को "कुशल भारत कार्यक्रम", क्रम संख्या 2 पर सामासिक स्कीम में शामिल किया गया है।

9.03. **उद्यमिता विकास:** उद्यमशीलता विकास: इस स्कीम का उद्देश्य उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श नेटवर्क, पोषण और त्वरक, सूचना मंच तथा अनुसंधान सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के एडवोकेसी और विभिन्न घटकों तक पहुंच के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम सृजित करना है। वित्तीय-वर्ष 2023-24 से, ये कार्यक्रम भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) (क्र.सं.5) और निस्वड (क्र.सं.6) नामक स्वायत्त निकायों में स्थानांतरित हो जाएंगे।

9.04. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना सुदृढीकरण:** संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण (एसआईआईटी): वित्तीय-वर्ष 2023-24 से, इसे क्र.सं.12 में स्थानांतरित किया गया है।

9.05. **कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण:** कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण: बजट प्रावधानों में (i) शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के लिए निदेशात्मक मीडिया पैकेज (आईएमपी) के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (नीमि), (ii) कर्मचारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार के लिए अनुसंधान करने हेतु केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) के लिए अनुदान शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2023-24 से, इन कार्यक्रमों को क्र.सं. 7 पर नीमि और सचिवालय शीर्ष में शामिल सीएसटीएआरआई के अंतर्गत शामिल किया गया है।

9.06. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** विनियामक संस्थाओं को सहायता: इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को अनुदान दिया जाता है, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से संबन्धित संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए मंत्रालय के तहत एकमात्र विनियामक संस्था है, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। वित्तीय-वर्ष 2023-24 से, इन कार्यकलापों को क्र.सं.4 में शामिल किया गया है।

9.07. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता:** आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता (संकल्प): वित्तीय-वर्ष 2023-24 से, इन कार्यकलापों को क्र.सं.10 में स्थानांतरित किया गया है।

9.08. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव): वित्तीय-वर्ष 2023-24 से, इन कार्यकलापों को क्र.सं.11 में स्थानांतरित किया गया है।

10. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी:** आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प): विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, गुणवत्ता प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का एक पूल बनाना, राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यकलापों के बीच संकेन्द्रण बनाना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है।

11. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी: विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी संबंधित चुनतियों का समाधान करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक मंडलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है।

12. **संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसरचना को सुदृढ बनाना:** संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण (एसआईआईटी): इस स्कीम में (i) उत्तर-पूर्व राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उत्तर-पूर्व राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास का संवर्धन करना, (ii) 10 राज्यों के वामपक्ष उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वामपक्ष उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास (iii) मौजूदा आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन और (iv) पॉलिटेक्निक स्कीम घटक शामिल हैं।